

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्र./पाठ्यक्रम/राशिके/2026/ 214

भोपाल, दिनांक-30-1-2026

प्रति

जिला परियोजना समन्वयक  
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषय: EQIP-LEP (2025-26) के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों की एंडलाइन परीक्षा की अतिरिक्त तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में।

संदर्भ - राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल का पत्र क्र./पाठ्यक्रम/राशिके/2026/19, दिनांक 06/01/2026। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें यह सूचित किया गया था कि कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों हेतु एंडलाइन असेसमेंट 27 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य कराया जाएगा। उल्लेखनीय है विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस एंडलाइन परीक्षा की अवधि 3 दिवस और बढ़ा दी गई है।

- कक्षाएँ: 6 से 8
- परीक्षा माध्यम: ऑनलाइन मोड
- अतिरिक्त तिथि: 31 जनवरी, 2 फरवरी एवं 3 फरवरी 2026
- प्रश्नों की कुल संख्या - 25 (प्रति विषय 5 प्रश्न)
- परीक्षा अवधि - 30 मिनट
- Website - [www.eqip.org.in](http://www.eqip.org.in)

एंडलाइन आकलन कंप्यूटर/टैबलेट/मोबाइल के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी भरने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में संलग्न है, जिसमें एक समय में एक कंप्यूटर/टैबलेट/मोबाइल पर केवल एक ही छात्र का आकलन किया जा सकेगा। एक छात्र के आकलन के पश्चात अगले विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा अतः सुविधा की दृष्टि से विद्यालय के अन्य शिक्षकों का सहयोग भी लिया जा सकता है। एंडलाइन परीक्षा के माध्यम से बेसलाइन परीक्षा की तुलना में विद्यार्थियों की प्रगति एवं सीखने के स्तर में हुए सुधार को प्रदर्शित किया जाएगा।

समस्त संबंधित विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे परीक्षा के सुचारु आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें, जैसे—उपयुक्त उपकरणों की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण, ताकि अधिकतम विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

(हरजिंदर सिंह)


संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

क्र./पाठ्यक्रम/राशिके/2026/ 215  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक -30-1-2026

1. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक, समस्त जिले, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।



संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

## ऑनलाइन परीक्षा हेतु निर्देश

## 1. परीक्षा का माध्यम

परीक्षा कंप्यूटर/टैबलेट/मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन OMR प्रारूप में किया जाएगा।

## 2. लॉग-इन एवं परीक्षा प्रारंभ

- परीक्षार्थी निर्धारित समय से पूर्व उपलब्ध कराए गए लिंक/लॉग-इन विवरण के माध्यम से लॉग-इन करें।
- लॉग-इन के पश्चात परीक्षार्थी को अपना नाम, कक्षा एवं अन्य आवश्यक विवरण निर्धारित स्थान पर सावधानीपूर्वक भरना होगा।
- परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व स्क्रीन पर प्रदर्शित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- परीक्षा प्रारंभ होते ही टाइमर स्वतः चालू हो जाएगा।

## 3. प्रश्न पत्र का प्रारूप

- प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) पर आधारित होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (A, B, C, D) दिए जाएंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक सही उत्तर होगा।

## 4. ऑनलाइन OMR भरने की विधि

- किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए संबंधित विकल्प के गोले (बबल) पर क्लिक/टैप करें।
- चयनित विकल्प हाइलाइट होकर दिखाई देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्तर दर्ज हो गया है।
- यदि उत्तर बदलना हो, तो किसी अन्य विकल्प पर क्लिक/टैप करें। पूर्व चयन स्वतः हट जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न में केवल एक ही विकल्प का चयन करें।

## 5. प्रश्नों के बीच नेविगेशन

- प्रश्नों के बीच आने-जाने के लिए Next / Previous बटन का उपयोग करें।
- टाइमर समाप्त होने से पहले किसी भी प्रश्न के उत्तर को देखा या बदला जा सकता है।

## 6. समय सीमा (टाइमर)

- परीक्षा की शेष समय-सीमा स्क्रीन पर निरंतर प्रदर्शित होती रहेगी।
- निर्धारित समय समाप्त होने पर परीक्षा स्वतः सबमिट हो जाएगी।
- परीक्षार्थियों को समय का उचित प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है।

## 7. परीक्षा सबमिशन

- सभी प्रश्न हल करने के पश्चात Submit बटन पर क्लिक करें।
- एक बार सबमिट करने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

## 8. तकनीकी निर्देश

- परीक्षा के दौरान स्थिर इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करें।
- परीक्षा के समय ब्राउज़र को रिफ्रेश या बंद न करें।
- किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में तुरंत संबंधित शिक्षक/परीक्षा समन्वयक को सूचित करें।

## 9. सामान्य निर्देश

- परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग न करें।
- स्क्रीन पर प्रदर्शित सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
- परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।